

मेसर्स अनीस अहमद एण्ड सन्स

बनाम

आयकर आयुक्त (अपील्स), कानपुर और अन्य

(सिविल अपील संख्या 582/2008)

22 जनवरी 2008

(पी.पी.नौलेकर और लोकेश्वर सिंह पंत, न्यायमूर्तिगण.)

आयकर अधिनियम, 1961- धारा 131- निर्धारण वर्ष 1984-85- निर्धारिती अभिकर्ता के रूप में आयकर विवरण दाखिल करने वाला- किन्तु निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारिती को व्यापारी माना और तद्रूप कर योग्य आय का आंकलन किया। मामला अपील न्यायाधिकरण के समक्ष गया जिसने मामले को निर्धारण प्राधिकारी को रिमाण्ड (प्रतिप्रेषित) कर दिया- रिमाण्ड (प्रतिप्रेषण) पर मुल्यांकन प्राधिकारी ने धारा 131 के तहत दस व्यापारियों को समन जारी किया- पांच व्यापारी उपस्थित हुए और उन्होंने निर्धारिती के पक्ष में साक्ष्य दी- अन्य पांच व्यापारी राज्य के बाहर रहने से उपस्थित नहीं आये क्योंकि उनपर समन की तामील नहीं की जा सकी, जिसके लिए, निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारिती के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला और उसके संबंध में आदेश पारित कर निर्धारिती को व्यापारी मान लिया- जांच की गई- सही नहीं धारित किया- मुल्यांकनकर्ता को राज्य के बाहर रहने वाले पांच व्यापारी की गैर उपस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं

ठहराया जा सकता है- इस बात का पर्याप्त साक्ष्य था कि उसका व्यवसाय कमीशन एजेंट का है और व्यापारी का नहीं है- इसके अलावा पहले के निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारिती को कमीशन एजेंट के रूप में माना था।

निर्धारिती- अपीलार्थी ने निर्धारण वर्ष 1984-85 में कच्चे खाल और खाल के व्यापारी के रूप में कमीशन एजेंट के रूप में आयकर विवरणी दाखिल की हालांकि आयकर प्राधिकारी ने निर्धारिती को एक व्यापारी के रूप में माना और तदुसार उसकी कर योग्य आय का अकलन किया- मामला अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष गया, जिसने मामले को निर्धारण प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रतिप्रेषण कर निर्धारण प्राधिकारी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 131 के तहत दस व्यापारियों को समन जारी किया पांच व्यापारी उपस्थित हुए और निर्धारिती के पक्ष में साक्ष्य दी लेकिन अन्य पांच व्यापारी जो कि राज्य के बाहर निवास करते थे, उपस्थित नहीं आए क्योंकि उन्हें समन की तामील नहीं हो सकी थी निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारिती के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष इस आधार पर निकाला कि जो व्यापारी अनुपस्थित रहे उसके साथ निर्धारिती का सम् व्यवहार एक व्यापारी की क्षमता में किया गया न कि कमीशन एजेंट के रूप में। निर्धारिती ने अपील फाईल की जिसे आयकर आयुक्त द्वारा अनुमति दी गई हालांकि अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारिती प्राधिकारी के निर्णय को मान्य रखा। उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्धारिती प्राधिकारी के विनिश्चय

से सहमति जताई जैसा कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने किया और अपील प्रथमदृष्टया ही खारिज कर दी गई।

इस न्यायालय में अपील में निर्धारिती का तर्क रहा कि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा समन किए गए व्यापारियों की अनुपस्थिति का दोष निर्धारिती पर नहीं डाला जा सकता और निर्धारिती प्राधिकरण अपील न्यायाधिकरण के साथ साथ उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारिती को व्यापारी मानकर उसके प्रतिकूल निष्कर्ष देना न्यायोचित नहीं था।

अपील की अनुमति दी गई और सी.आई.टी. (अपील) द्वारा पारित आदेश को बहाल किया।

न्यायालय द्वारा पारित किया गया अभिनिर्धारित किया:

1.1. वर्ष 1983-84 में निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारिती के कच्चे खाल और खाल के व्यापार के लिए कमीशन एजेंट के रूप में उसका दावा स्वीकार कर लिया था। निर्धारिती ने कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करने के माध्यम से व्यापारियों द्वारा खरीददारों को किए भुगतान का चार्ट दाखिल किया। पांच व्यापारी जो निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए उन्होंने निर्धारिती के दावे को कमीशन एजेंट के रूप में न कि व्यापारी के रूप में स्वीकार किया और निर्धारण प्राधिकारी ने उनकी साक्ष्य को ग्राह्य किया और निर्धारिती को उन सम्व्यवहारों के संबंध में जिसने उसे उन व्यापारियों के साथ किया, कमीशन एजेंट के रूप में माना। निर्धारिती उन पांच

व्यापारियों को जिन्हें निर्धारण प्राधिकारी ने समन जारी किया और जो उत्तरप्रदेश राज्य के बाहर रहने से अनुपस्थित रहे उनकी अनुपस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन व्यापारियों की अनुपस्थिति के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं लेना चाहिए और निर्धारिती अपनी ओर से पर्याप्त साक्ष्य पेश कर चुका था कि उसका व्यापार कमीशन एजेंट के रूप में हैं न कि माल का सौदा करने वाले व्यापारी का। {पैरा 12}{1028-ए, बी, सी, डी, ई}

1.2. साल 1984-85 के निर्धारण की विषय वस्तु को राजस्व द्वारा 10-11 साल बीतने के बाद खोला गया और निर्धारिती को राज्य के बाहर रहने वाले विक्रेता के संबंध में व्यापारी माना। निर्धारिती के साथ इस आधार पर असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता कि जिन्होंने निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारिती के दावे का समर्थन किया और दूसरे पांच जो निर्धारण प्राधिकारी के समन तामील नहीं होने से उपस्थित नहीं आये, उनके आधार पर निर्धारिती के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष पारित करें। इस आधार पर निर्धारण अधिकारी का आदेश स्वयं ही उचित बनाये रखने योग्य और न्यायोचित नहीं हैं। निर्धारण प्राधिकारी ने 1983-84 के आंकलन वर्ष में निर्धारिती के कमीशन एजेंट के रूप में लाए गए समान वस्तुओं के संबंध में जो विक्रेता द्वारा कमीशन एजेंट के समक्ष मण्डी (बाजार) में लाए गए थे, स्वीकार किया था। {पैरा 12}{1028-ई, एफ, जी, एच; 1029-ए}

1.3. आयकर आयुक्त ने यह सही धारित किया कि निर्धारिती साल 1984-85 में एक "आढतियां (कमिशन ऐजेन्ट) था और "व्यापारी नहीं था जैसा कि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा धारित किया गया और आयकर अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। {पैरा 13} {1029-ए, बी}

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नम्बर 582/2008

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आई टी ए 94/2004 में अन्तिम निर्णय व आदेश दिनांक 01.11.2004 से।

अपीलार्थी की ओर से: सुब्रमण्यम प्रसाद , वरुण भंडारी गांगुली और आर. सी. कोहली।

प्रत्यर्थी की ओर से : टी. एस. डोबिया, वी0 गुलाटी और बी0 वी बलराम दास ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंत द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील अपीलार्थी फर्म द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 01.11.2004 आई टी ए 94/2004 के विरुद्ध की गई। आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को प्रथमदृष्टया ही खारिज कर दिया और आयकर अपील प्राधिकरण, लखनऊ बेंच के निर्णय दिनांक 15.01.2004 को पुष्ट किया।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलार्थी-फर्म (इसके बाद अपीलार्थी निर्धारिती के रूप में संदर्भित) कच्ची खाल और खाल के कमिशन एजेन्ट के रूप में व्यवसाय कर रहा है। कच्ची खाल और खाल में शामिल हैं- भैंस की खाल, गाय की खाल, कट्टा और कटाई या बकरी और भेड़। व्यापारियों (ट्रेडर्स) द्वारा माल को ड्रक के माध्यम से मंडी (बाजार) में लाया जाता। ये व्यापारी उनके चुनिन्दा आढतदार (कमिशन एजेन्ट) के पास जाते और वहां पर वे माल की गिनती करवाते जिसका सबसे पहले इन्द्राज बिल्टी रजिस्टर में किया जाता और उसके बाद में बंडल तैयार किये जाते और प्रत्येक व्यापारी को लोट नम्बर दिये जाते। कभी कभी व्यापारी आढतदार (कमिशन एजेन्ट) से ड्रक का भाड़ा दिये जाने का निवेदन करते। आढतदार प्रत्येक व्यापारी का उसकी लेखाबही में खाता खोलता जिसमें अलग अलग प्रकार के कच्ची खाल के माल का वर्णन अंकित किया जाता परन्तु उस माल के धनीय मुल्य का अंकन नहीं किया जाता। व्यापारी स्वयं चार- पांच दिन मंडी (बाजार) में बाजार के बारे में जानने के लिये रुकते और तब वे आढतदार (कमिशन एजेन्ट) को माल बेचने का निर्देश देते।

4. जब माल बेचा जाता है तो विक्रय राशि में से कमीशन और अन्य शुल्क व्यापारी के खाते में जमा कराये जाते हैं और प्राप्त कमीशन शुल्क और अन्य शुल्क संबंधित खातों में जमा कराये जाते हैं और माल का पूरा

विक्रय मूल्य खरीददार के खाते में नामे किया जाता है। आढतदार (कमिशन ऐजेन्ट) तोल/शुमारबही में बेचे गये माल का पूर्ण विवरण जैसे वजनदर, व्यापारी का नाम जिसका माल बेचा गया और क्रेता का नाम, बेचे गये माल का पूर्ण विवरण रखेगा। इस पुस्तक में मूल प्रविष्टि की जाती है, उसके बाद प्रविष्टियों को जाकर के जरिये पास किया जाता है और खाता बही के संबंधित खातों में पोस्ट अंकित किया जाता है। यह व्यवहार सभी आढतदार (कमिशन ऐजेन्ट) द्वारा अनुपालित किया जाता है। व्यापारी द्वारा ग्राहक से प्राप्त शेष राशि सामान्यतः केश में, किशतों में या संपूर्ण राशि का भुगतान किया जाता है। विभिन्न प्रकार की खाल पर कमीशन की दर संघ द्वारा तय की जाती है और कोई भी आढतदार (कमिशन ऐजेन्ट) उस खाते से किसी भी प्रकार से अधिक शुल्क नहीं ले सकता।

5. अपीलार्थी निर्धारिती ने यह घोषित करते हुए कि उसकी आढतदार (कमिशन ऐजेन्ट) के रूप में कुल आय 1,32,830/- रु है और इस आधार पर निर्धारण वर्ष 1984-85 की आयकर विवरणी दाखिल की। आयकर अधिकारी सर्कल-२, कानपुर ने उसके निर्धारण आदेश द्वारा दिनांक 13.03.1987 को धारा 143(3) आयकर अधिनियम 1961 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) में अपीलार्थी निर्धारिती को एक व्यापारी के रूप में न कि आढतदार (कमिशन ऐजेन्ट) के रूप में माना और उसकी कुल कर योग्य आय 4,06,810/- रु निर्धारित की। उसे पृथक से अधिनियम की धारा 271(1)(ए), और 271(1)(सी), और 273(2)(ए) के

तहत जुर्माना नोटिस जारी किया।

6. इस बात से व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष पेश की। आयकर आयुक्त (अपील) ने उसके आदेश दिनांक 04.04.1988 से आशिक रूप से अपील की अनुमति दी। अपीलार्थी निर्धारिती और प्रत्यर्थी आयकर विभाग ने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश से व्यथित होकर अलग-अलग दो अपीलें आयकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष पेश की। प्राधिकरण ने उसके आदेश दिनांक 19.08.1993 को मामले के गुण अवगुण पर विचार विमर्श किये बिना निर्धारण आदेश को अपास्त कर दिया और पत्रावली को निर्धारिती अधिकारी को इस आदेश के साथ कि वह अपीलार्थी निर्धारिती को लेखा प्रविष्टियां पेश करने, पुनः सुनने और अपीलार्थी निर्धारिती को उसके दावे के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अधिकार देते हुए कि उसके लेखाओं में किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है, जैसे कि निर्धारिती अधिकारी और आयकर आयुक्त द्वारा उसके आदेश दिनांक 04.04.1988 में पाई है। पत्रावली पुनः जांच करने के लिए प्रतिप्रेषित कर दी गई।

7. प्रतिप्रेषण पर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 131(1) के तहत दस व्यापारियों को समन जारी किए। समन के जवाब में पांच व्यापारी उपस्थित आए और अपीलार्थी निर्धारिती के पक्ष में साक्ष्य दी। शेष पांच व्यापारी इसलिए उपस्थित नहीं आ सके क्योंकि उत्तरप्रदेश राज्य से

बाहर रहने के कारण उन पर समन की तामील नहीं की जा सकी। निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी निर्धारिती के दावे के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला और अनुपस्थित रहे व्यापारियों के साथ हुए सम्बन्ध के संबंध में निर्धारिती को व्यापारी के रूप में, न कि आढतदार (कमिशन एजेन्ट) के रूप में मानते हुए, निर्धारण वर्ष 1984-85 में उसकी कुल आय 2,30,704/-रु निर्धारित की।

8. अपीलार्थी निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 29.03.1996 को आयकर आयुक्त (अपील्स) के समक्ष चुनौती दी जिसने आदेश दिनांक 09.06.1997 को उक्त आदेश को अपास्त कर दिया और निर्धारित किया कि-

“अपील काफी पुराने वर्षों से संबंधित है जिसके कारण जांच का दायरा अब कम रह गया है। मेरी राय में उत्तरप्रदेश के बाहर के पक्षकारों के निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं आने के कारण अपीलार्थी को विक्रेता के रूप में मानना एवं निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के संबंध में उसे आढतदार (कमिशन एजेन्ट) मानना मनमाना था। निर्धारण अधिकारी ने तथाकथित 'आढत बाजार' के संबंध में कोई जांच नहीं की। इसलिए मेरी राय में इस विवाद पर बल देना वांछनीय नहीं है। तदुसार,

निर्धारिती अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह अपीलार्थी को इस साल के लिए आढतदार (कमिशन ऐजेन्ट) के रूप में स्वीकार करे और उसके द्वारा दिखाए कमीशन लाभ के रूप में स्वीकार करे।”

9. राजस्व पक्ष ने पीडित होकर आयकर अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील पेश की। प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 15.01.2004 से अपील स्वीकार की और धारित किया कि निर्धारिती अपीलार्थी सबूत पेश करने में विफल रहा है कि उसने विवादित सम्व्यवहार व्यापारी के रूप में नहीं किए बल्कि वे सम्व्यवहार कमीशन के आधार पर किए गए थे। इस आदेश से पीडित होकर अपीलार्थी निर्धारिती ने उच्च न्यायालय में आयकर अपील पेश की। उच्च न्यायालय द्वारा जैसा कि उपर देखा गया, प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों एवं अपील प्राधिकरण के निष्कर्षों से सहमति जाहिर की और अपील को प्रथमदृष्टया ही खारिज कर दिया। अब अपीलार्थी निर्धारिती इस न्यायालय के समक्ष है।

10. हमने विद्वान वकील अपीलार्थी निर्धारिती मि. सुब्रमण्यम प्रसाद और उत्तरदाता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टी.एस. दोआबिया और उनके सहयोगी को सुना और रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री की जांच की। अपीलार्थी निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क पेश किया कि उच्च न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों एवं विधि की स्थिति पर उचित निष्कर्ष निकाले, अपील को

प्रथमदृष्टया ही खारिज करने की गंभीर त्रुटि की है। उनके अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए समन पर अनुपस्थित रहने वाले व्यापारियों का दोष निर्धारिती अपीलार्थी पर नहीं डाला जा सकता और निर्धारिती अधिकारी, अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ साथ उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल निष्कर्ष देना न्यायोचित नहीं है क्योंकि अपीलार्थी निर्धारिती को समान माल के संबंध में समान तरीके से काम करने के बारे में व्यापारियों के साथ किए गए साक्ष्य को स्वीकार कर व्यापारी मानना उचित नहीं है।

11. इसके विपरीत विद्वान वरिष्ठ वकील ने उत्तरदाता की ओर से उपस्थित हो निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया जो अपील प्राधिकरण के साथ साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्ट हो चुका था। यह तर्क दिया कि यह न्यायालय का संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत वैवेकिक शक्ति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है क्योंकि अपील प्राधिकरण और उच्च न्यायालय का आदेश सकारण एवं विधि व तथ्य के उचित निष्कर्ष पर आधारित है।

12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के संबंधित तर्कों और पत्रावली पर मौजूद समस्त सामग्री पर विचार कर हमारा मत है कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व आदेश कायम नहीं रखा जा सकता। अभिलेखों से पता चलता है कि निर्धारिती अधिकारी ने वर्ष 1983-84 में अपीलार्थी निर्धारिती के कच्ची खाल एवं खाल के व्यापार को कमीशन

एजेन्ट के दावे को स्वीकार किया। अपीलार्थी निर्धारिती ने क्रेताओं को व्यापारियों द्वारा अपीलार्थी निर्धारिती के जरिए कमीशन एजेन्ट के रूप में काम कर भुगतान किए जाने का चार्ट फाइल किया है। पांच व्यापारी जो निर्धारिती अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए उन्होंने अपीलार्थी निर्धारिती के दावे को कमीशन एजेन्ट के रूप में स्वीकार किया, न कि व्यापारी के रूप में स्वीकार किया और निर्धारिती अधिकारी ने उनकी साक्ष्य को स्वीकार कर निर्धारित किया कि उनके संबंध में अपीलार्थी निर्धारिती के सम्बन्ध में कमीशन एजेन्ट के रूप में थे। अपीलार्थी निर्धारिती उन पांच व्यापारियों जो राज्य के बाहर रहने के कारण समन तामील नहीं होने के कारण उपस्थित नहीं आ सके उनके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उसके प्रतिकूल धारित नहीं किया जाना चाहिए और अपीलार्थी निर्धारिती ने पर्याप्त साक्ष्य पेश की कि उसका व्यापार कमीशन एजेन्ट का है, न कि वस्तुओं के व्यापार का। अब 10-11 वर्षों के बीतने के बाद वर्ष 1984-85 की विषय वस्तु के आंकलन को राजस्व द्वारा अपीलार्थी निर्धारिती को उन विक्रेताओं संबंध में जो उत्तरप्रदेश राज्य के बाहर रहते हैं, के संबंध में व्यापारी मानते हुए खोला गया। अपीलार्थी निर्धारिती को इस आधार पर कि जो व्यापारी निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए और उसका समर्थन किया और जो उसके विपरीत थे, प्रतिकूल निष्कर्ष अपीलार्थी निर्धारिती के विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता जो पांच अन्य व्यापारी समन पर उपस्थित नहीं आए। इसी आधार पर स्वयं ही निर्धारिती अधिकारी का

आदेश तर्कसंगत, बनाये रखने जाने योग्य और न्यायोचित नहीं हो सकता।
जैसा कि उपर देखा गया निर्धारिती प्राधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1983-84 में
अपीलार्थी निर्धारिती को कमीशन एजेन्ट के रूप में उन्हीं वस्तुओं के संबंध
में माना जो वस्तुएं विक्रेताओं द्वारा आढतदार (कमिशन एजेन्ट) के समक्ष
विक्रय के लिए मण्डी में लाई गई।

13. इस प्रकार मामलें में आयकर आयुक्त ने यह सही धारित किया
कि अपीलार्थी निर्धारिती वर्ष 1984-85 के लिए आढतदार (कमिशन एजेन्ट)
है। अपीलार्थी निर्धारिती व्यापारी नहीं है, जैसा कि निर्धारण अधिकारी ने
धारित किया और आयकर अपील प्राधिकरण व उच्च न्यायालय ने स्वीकार
किया।

14. परिणामस्वरूप, पूर्वगामी कारणों से अपील स्वीकार की जाती है
और उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.11.2004 आई.टी.ए. नंबर
94/2004 और इन्कम टैक्स अपील प्राधिकरण, लखनऊ बेंच आई.टी.ए.
नंबर 1170/ईलाहाबाद 1997 निर्धारण वर्ष 1984-85 और आयकर
अधिकारी के मूल आदेश दिनांक 29.03.1996 जिसमें अपीलार्थी निर्धारिती
को व्यापारी माना और कमीशन एजेन्ट नहीं माना, को अपास्त कर रद्द
किया जाता है, और परिणामस्वरूप आयकर आयुक्त (अपील)२ कानपुर,
अपील नंबर सी.आई.टी.(ए)२/आई.टी.ओ.2(7)/96-97/67 को बहाल किया
जाता है।

पक्षकार अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चन्द्रप्रकाश पाटीदार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।